

INDO-TIBETAN BORDER POLICE FORCE
CENTRAL FRONTIER HEADQUARTER
DISTT- BHOPAL (M.P.)

NOTICE FOR PUBLIC AUCTION

The Unused Misc store Tentage/EI Clothing/Furniture Items/Telecom Store etc of Central Frontier Headquarter P.O. Kokta, Teh- Huzur, Distt-Bhopal (Madhya Pradesh) Camp to be auctioned on 09.10.2020 from 1000 onwards in Central Frontier Headquarter P.O. Kokta, Teh-Huzur, Distt-Bhopal(M.P.).

Condition of Auction

1. Auction will be held on 09.10. 2020 at 1000 hrs Inspection of the Store may be carried out by the bidder on the same day from 0900 hrs to 1000 hrs at Camp Premises.
2. The bidders will have to deposit Rs 16,000/- (Rupees Sixteen Thousand Only) before the bidding as a earnest money which will be refunded the same day after Auction.
3. The last bidder will have to deposit the full amount of bidding immediately after falling down the hammer (i.e. after complete the process).
4. The Tax/duty (if any) will be paid by the purchaser.
5. The store will be sold "as is, where is" basis, while purchasing, it will be considered that the bidder has inspected the same.
6. After purchasing the stores, the purchaser should remove the stores from spot within 48 hours with own arrangement. If store is not remove within prescribed time by the purchaser, this office will not be responsible for stores.
7. The stores will only be permitted to lift, after submission of copy of challan of amount of prevailing GST deposited to the government treasury/bank.
8. The I.G.Central Frontier Headquarter reserved the right to reject or cancelled the auction without assigning any reason.


(DY. INSPECTOR GENERAL)
CENTRAL FRONTIER HEADQUARTER


भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
केन्द्रीय सीमान्त मुख्यालय, कान्हासैया, पत्रालय कोकता जिला भोपाल (मध्य प्रदेश)

सार्वजनिक नीलामी सूचना

केन्द्रीय सीमान्त मुख्यालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कान्हासैया, पत्रालय-कोकता, तहसील- हजूर जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश) द्वारा दिनांक 09.10.2020 को प्रातः 1000 बजे केन्द्रीय सीमान्त मुख्यालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कान्हासैया जिला-भोपाल (मध्य प्रदेश) में अनुपयोगी विविध सामान/टेन्ट/अतिरिक्त वस्त्र/फर्नीचर एवं टेलीकॉम इक्यूपमेंट की सार्वजनिक नीलामी की जानी है।

नीलामी की शर्तें:-

1. नीलामी दिनांक 09.10.2020 को प्रातः 1000 बजे की जाएगी। सामान का निरीक्षण उसी दिन 0900 बजे से 1000 बजे तक कैम्प परिसर में किया जायेगा।
2. बोली दाता को बोली शुरू करने से पूर्व धरोहर राशी जमानत के तौर पर समस्त सामान के लिए रु 16,000/- (रुपये सोलह हजार मात्र) जमा करना होगा, जो उसी दिन नीलामी के पश्चात वापस कर दिया जायेगा।
3. नीलामी के लिए अन्तिम बोलीदाता को हथौडा गिरने पर तुरन्त बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।
4. किसी भी प्रकार का टैक्स ड्यूटी जो देय होगी उसका भुगतान क्रेता द्वारा किया जायेगा।
5. सामानों को क्रय करते समय यह माना जायेगा कि बोली दाता ने इसका भौतिक निरीक्षण किया है।
6. सामानों का क्रय होने पर क्रेता द्वारा सामानों को यथा स्थान से अपने प्रबन्ध पर 48 घण्टे के अन्दर हटाना होगा। यदि निर्धारित समय में क्रेता द्वारा क्रय किया गया सामान नहीं हटाया गया तो उस सामान की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
7. क्रेता द्वारा प्रचलित जी.एस.टी. सरकारी खजाने में जमा करने के उपरान्त चालान फार्म देना होगा, तब ही सामान को ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
8. महानिरीक्षक केन्द्रीय सीमान्त मुख्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये नीलामी अस्वीकार या निरस्त कर सकता है।



उप महानिरीक्षक (प्रशासन)
केन्द्रीय सीमान्त मुख्यालय